07/2016

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर

A3

11–02–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से चाही गई 5 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है। जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

उनका आगे कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना का संबंध नगर परिषद व निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से बताया गया है। इसलिए अपीलार्थी का प्रा0 पत्र प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को भिजवाया जाना चाहिए था जो विलम्ब से भिजवाया गया है। इसलिए माननीय सूचना आयोग की अपील सं0 852/2010 राधेश्याम गोयल बनाम वरिष्ठ लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर में पारित निर्णय 29.10.2010 व अपील सं0 4580/2015 राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक एवं सुधार विभाग निर्णय दिनांक 20.09.2016 के अनुसार संबंधीत विभाग से सूचनाएं मंगवा कर दी जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, सही नही है। अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र के संबंध में पत्र सं0 1 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा समय अवधि में उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

1. आपके पत्रांक 2760 दिनांक 11.12.2015 प्रेषित पत्र प्रार्थी को एवं संबोधित पत्र आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर के जवाब में जो कार्यवाही नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. आपका पत्र आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख एव आरआर नंबर की व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
4. पत्र में वर्णित विषय वस्तु में अंकित आयुक्तो पर मलकीयत सिंह सैनी व बीएलओ श्री सुभाष चंद्र गोयल पर आपके आदेशों की पालना में कार्यवाही न करने पर आप द्वारा जिस विभागीय नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गयी है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. नगर परिषद आयुक्त द्वारा मलकीयत सिंह सैनी जांच अधिकारी द्वारा समय पर जांच न करने पर उसके विरूद्ध जिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही नही की गयी है उस अधिनियम की सूचना व प्रमाणित नियम की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 113 दिनांक 27.01.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 01 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:–

क0सं0	चाही गयी सूचना	जवाब
1.	आपके पत्रांक 2760 दिनांक 11.12.2015 प्रेषित पत्र प्रार्थी को एवं संबोधित पत्र आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर के जवाब में जो कार्यवाही नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन चाही गई सूचना में वर्णित पत्र द्वारा आयुक्त नगर परिषद को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है इस संबध में की गई कार्यवाही की सूचना लोक प्राधिकरण नगर परिषद से प्राप्त करें इस कार्यालय में उपलब्ध नही हैं। आपका प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत नगर परिषद को अंतरित किया जा रहा है।
2.	आपका पत्र आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख एव आरआर नंबर की व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	नगर परिषद में पत्र पहुंचने की रिसीट संख्या व दिनांक लोक प्राधिकरण नगर परिषद से संबंधित है। आपका प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत नगर परिषद को अंतरित किया जा रहा है।
3.	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।	पत्र पर कार्यवाही लोक प्राधिकरण नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा की जानी अपेक्षित है। आपका प्रार्थना पत्र उक्तानुसार अंतरित किया जा रहा है।
4.	पत्र में वर्णित विषय वस्तु में अंकित आयुक्तो पर मलकीयत सिंह सैनी व बीएलओ श्री सुभाष चंद्र गोयल पर आपके आदेशों की पालना में कार्यवाही न करने पर आप द्वारा जिस विभागीय नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गयी है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	उक्त विषयक जांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीगंगानगर से संबधित है। आपका प्रार्थना पत्र उक्त प्राधिकरण को अंतरित किया जा रहा है।
5.	नगर परिषद आयुक्त द्वारा मलकीयत सिंह सैनी जांच अधिकारी द्वारा समय पर जांच न करने पर उसके विरूद्व जिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही नही की गयी है उस अधिनियम की सूचना व प्रमाणित नियम की सूचना।	उक्त विषयक जांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीगंगानगर से सबंधित है। आपका प्रार्थना पत्र उक्त प्राधिकरण का अंतरित किया जा रहा है।

जहां तक बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचनाये उपलब्ध करवाने का प्रश्न है। बिन्दु संख्या 1 से 5 नगरपरिषद/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण आवेदन उक्त प्राधिकरण को हस्तगत किया जा चुका है। शेष सूचनांए अभिलेख के रूप में संधारित नही है। अतः धारा 2(च) के अनुरूप सृजन किया जाकर सूचना प्रदान किया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नही आता है। अपील सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार अगर आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाए यदि लोक सूचना अधिकारी के नियन्त्रणाधीन नही है तो उसे 5 दिवस की निर्धारित अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार अन्तरण करनी चाहिए थी जो निश्चित अवधि में अन्तरण नही की जानी प्रतीत होती है। इसलिए माननीय सूचना आयोग के उक्त निर्णयो को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 10 दिवस के भीतर संबंधित विभाग से वांछित सूचनांए अपने स्तर से एकत्रित कर अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवावें।

505-06
02/3/17

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर